रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारी

बनाम

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

24 अक्टूबर, 1989

[रंगनाथ मिश्र, पी.बी. सावंत एवं के. रामास्वामी, न्यायमूर्तिगण]

रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985: धारा 4 और 10—रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड—पुनर्वास के लिए निर्देश।

उत्तरदाता-कंपनी के स्वामित्व वाली चार बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ 9 सितंबर, 1984 से बंद कर दी गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 10,000 कर्मचारियों को रोजगार से वंचित होना पड़ा। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में, श्रमिकों ने बंदी की अवधि से लेकर अब तक के वेतन और मजदूरी के तत्काल भुगतान, 1984 में औद्योगिक विवाद अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार मुआवजे और भविष्य निधि खाते, ग्रेच्युटी आदि के बकाया के भुगतान की मांग की। इस बीच उच्च न्यायालय ने 22 मई, 1986 को कंपनी अधिनियम के तहत एक अनंतिम परिसमापक नियुक्त कर दिया था।

इस न्यायालय ने 29 अक्टूबर, 1987 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह रुग्ण औद्योगिक कंपनियां अधिनियम, 1985 (जो लागू हो चुका था) की धारा 4 के तहत गठित बोर्ड को एक संदर्भ भेजे, ताकि उसकी धारा 10 के तहत कंपनी के पुनरुद्धार के लिए योजना तैयार की जा सके और उसे चार महीने के भीतर न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके। 7 सितंबर, 1988 को न्यायालय ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि बिहार राज्य कंपनी के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था और निर्देश दिया कि राष्ट्रीयकरण की कार्यप्रणाली

तैयार करने के लिए भारत सरकार के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में तत्काल एक समिति गठित की जाए। 13 दिसंबर, 1988 को न्यायालय ने समिति की प्रतिवेदन पर विचार किया जिसमें संकेत दिया गया था कि कागज और बोर्ड इकाई को छोड़कर तीन इकाइयाँ व्यवहार्य थीं और उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता था, और मामले को स्थगित कर दिया ताकि पक्षों को व्यवहार्य इकाइयों के पुनरुद्धार की संभावनाओं को तलाशने का अवसर मिल सके। 8 अगस्त, 1989 तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी। इसके बाद बिहार राज्य और भारत संघ ने अपने बयान अलग-अलग दायर किए और महान्यायवादी द्वारा तैयार किया गया ज्ञापन भी न्यायालय को उपलब्ध कराया गया।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : 1. लगभग 10,000 परिवारों को पांच वर्षों से अधिक समय से आजीविका से वंचित रखा गया है और राष्ट्रीय क्षति के अलावा, श्रमिकों को गंभीर खतरे में डाल दिया गया है। उनका वेतन का एक बड़ा हिस्सा बकाया है। कई वित्तीय संस्थानों को कंपनी से बड़ी बकाया राशि वसूल करनी है। ऋणपत्र न्यास विलेख के न्यासियों ने भी अपने दावे को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। इनके अलावा, कंपनी के मालिकों ने भी यह दलील दी है कि राष्ट्रीयकरण के माध्यम से कंपनी की संपत्तियों को ले लिए जाने की स्थिति में वे मुआवजे के हकदार हैं। बहुत सारी संपत्तियाँ तेजी से अनुपयोगी हो रही हैं और जल्द ही कबाड़ बन जाएँगी। यदि कंपनी का परिसमापन हो जाता है, तो देनदारियाँ संपत्तियों की तुलना में बहुत अधिक हो जाएँगी और संपत्तियों पर प्रथम या द्वितीय प्रभार होने के बावजूद, लेनदारों को कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए, यह सर्वोपरि महत्व का है कि व्यवहार्य इकाइयों के संबंध में कंपनी को पुनर्जीवित किया जाए और उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी जाए। [620घ, क-ग]

2.1 बिहार राज्य को पुनर्वास प्रशासक के रूप में एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने

का निर्देश दिया जाता है। [620 ज]

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अनंतिम परिसमापक प्रशासक को कंपनी की वे सभी संपत्तियाँ सौंप देगा जो उसने उस न्यायालय के आदेशों के तहत अपने कब्जे में ली थीं। कंपनी की वे संपत्तियाँ जो अभी तक कब्जे में नहीं ली गई हैं, वे तत्काल प्रशासक में निहित हो जाएँगी। [621क]

2.3 वित्तीय और अन्य संस्थानों के पास गिरवी कंपनी की संपत्तियाँ एक वर्ष की अवधि के लिए कानूनी कार्यवाही हेतु उपलब्ध नहीं होंगी, और कंपनी के खिलाफ अब तक की गई और लंबित या भविष्य में की जाने वाली कार्यवाहियों पर एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगन रहेगा, तथा इस अवधि के लिए परिसीमा निलंबित रहेगी। [621घ-ङ]

2.4 बिहार राज्य सरकार आठ सप्ताह के भीतर ली जाने वाली संपत्तियों की लागत के बदले प्रशासक के पास 15 करोड़ रुपये की राशि जमा करेगी। भारत संघ द्वारा योजना सहायता में से इतनी ही 15 करोड़ रुपये की राशि राज्य को अग्रिम के रूप में दी जाएगी। राज्य द्वारा भुगतान की गई राशि का उपयोग, समय आने पर, श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान और वित्तीय संस्थानों तथा अन्य पक्षों के सुरक्षित ऋणों के संवितरण के लिए किया जाएगा, जिनके लिए कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा दी गई थी। प्रशासक डालमियानगर में कार्यरत राज्य के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक खाता खोलेगा, जिसमें ये दो राशियाँ जमा की जाएँगी। [621 च-ज]

2.5 प्रशासक एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और एक लेखा अधिकारी शामिल होंगे, जो छह महीने के भीतर कंपनी के मालिकों और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य पक्षों के दावों की जांच करेंगे और निर्देशों के लिए मामले का प्रतिवेदन न्यायालय को सौंपेंगे। [622 क]

2.6 चार सप्ताह के भीतर सभी वस्तुओं की एक सूची बनाई जाएगी। चार सप्ताह के भीतर एक नई कंपनी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दो महीने के भीतर तकनीकी सलाहकारों और अन्य सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। छँटनी किए गए कर्मचारी चरणों में काम पर वापस आएंगे। तीन इकाइयों के संबंध में कंपनी के फिर से चालू होने के तीन महीने बाद कागज इकाई की व्यवहार्यता तलाशने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर पक्षों को आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है। [622 ग-घ & ङ]

2.7 वाद लंबित रहेगा, जिसे 1 मार्च, 1990 को पुनः बुलाया जाएगा। [622 ज]

मूल क्षेत्राधिकार : 1985 की रिट याचिका संख्या 5222।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

(1988 की रिट याचिका संख्या 443 और 754 के साथ)

1985 की रिट याचिका संख्या 5222 में याचिकाकर्ताओं के लिए आर.के. गर्ग, एस.के. वर्मा, पी. अंशु मिश्रा और आर.एस. सिंह।

1988 की रिट याचिका संख्या 754 में याचिकाकर्ताओं के लिए जी.बी. पाई और एस.के. सिन्हा।

उत्तरदाताओं के लिए के. परासरन;महान्यायवादी, जी. रामास्वामी;अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री ए. सुभाषिनी, प्रबीर मित्रा और के. स्वामी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया:

बिहार राज्य के अंतर्गत रोहतास जिले के डालमियानगर में स्थित रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के श्रमिकों ने 8 जुलाई, 1985 को इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र भेजा, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी की चार इकाइयाँ थीं, अर्थात्

कागज और बोर्ड, सीमेंट, एस्बेस्टस और वनस्पति घी संयंत्र; प्रबंधन ने 9 सितंबर, 1984 से उद्योगों को बंद कर दिया है और लगभग 10,000 कर्मचारियों को रोजगार से वंचित कर दिया है। यह प्रार्थना की गई थी कि कॉलोनी की बिजली तत्काल बहाल की जानी चाहिए, बंदी की अवधि से लेकर अब तक के वेतन और मजदूरी के भुगतान का निर्देश दिया जाना चाहिए और 1984 में औद्योगिक विवाद अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार मुआवजा तथा भविष्य निधि खाते, आनुतोषिक आदि के बकाया का भुगतान करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए। इस पत्र को एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका के रूप में पंजीकृत किया गया और नोटिस जारी किया गया। इसी बीच 22.5.1986 के आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम के तहत एक अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया। इस न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में नियोक्ता, अनंतिम परिसमापक, बिहार राज्य और भारत संघ यथासमय उपस्थित हुए।

27.4.1987 को, न्यायालय ने संपत्तियों की बिक्री द्वारा बकाया मजदूरी के भुगतान के मामले में एक अंतरिम आदेश दिया। 22.7.1987 को, न्यायालय ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि उसके सुझाव के अनुसार कंपनी के पुनर्गठन का प्रस्ताव चल रहा था और कहा कि वित्तीय संस्थानों के दावों पर बाद में विचार किया जाएगा। 28 अक्टूबर, 1987 को न्यायालय ने कहा:

> "इस न्यायालय ने भारत संघ और विद्वान महान्यायवादी को यह पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया था कि क्या अचानक रुग्ण हो गई कंपनी को पुनर्जीवित करना संभव है। विद्वान महान्यायवादी का कहना है कि इस बीच रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, जिसे 8 जनवरी, 1986 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, लागू हो गया है और उसकी धारा 4 के तहत अब एक बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि उस बोर्ड को एक

> संदर्भ भेजा जा सकता है और बोर्ड से कंपनी के पुनरुद्धार के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत परिकल्पित योजना तैयार करने के लिए कहा जा सकता है, और योजना को अधिनियम के तहत आगे बढ़ाने के बजाय, बोर्ड से इस न्यायालय के विचारार्थ योजना के साथ अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए योजना को वैधानिक अपील के अधीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सहमत हैं कि विद्वान महान्यायवादी के सुझाव के अनुसार प्रयास किया जा सकता है।"

केंद्र सरकार ने न्यायालय के निर्देशानुसार एक सप्ताह के भीतर बोर्ड को संदर्भ भेजा और बोर्ड को योजना तैयार करने के लिए चार महीने का समय दिया गया। 7.9.1988 को, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि बिहार राज्य कंपनी के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था। भारत संघ ने एक हलफनामा दायर किया कि यदि राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो उसका समर्थन किया जाएगा। इस न्यायालय ने 7.9.1988 के अपने आदेश में कहा:

> " इस पृष्ठभूमि में मामले की जांच करने पर हमारा विचार है कि यह सभी के हित में है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान को पुनर्जीवित किया जाए और जल्द से जल्द यह बेहतर होगा। इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीयकरण के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए भारत संघ के उद्योग सचिव के अध्यक्ष के रूप में एक समिति का तुरंत गठन किया जाए। समिति में सचिव, उद्योग, बिहार सरकार, लेनदार वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, भारत सरकार के वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। समिति को मामले की जांच करनी चाहिए और छह सप्ताह के भीतर अपना

प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी चाहिए।"

9.8.1989 को, न्यायालय ने यह कहते हुए प्रतिवेदन पर ध्यान दियाः

"इस न्यायालय को प्रस्तुत प्रतिवेदन से संकेत मिलता है कि कागज इकाई को छोड़कर तीन इकाइयाँ व्यवहार्य हैं और इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। 13 दिसंबर, 1988 को इस न्यायालय ने प्रतिवेदन पर विचार किया और पक्षों को तीन व्यवहार्य इकाइयों के पुनरुद्धार के तौर-तरीकों का पता लगाने का अवसर देने के लिए मामले को स्थगित कर दिया। जैसा कि हम पाते हैं कि कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। स्थगित तिथि तक तौर-तरीकों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और न्यायालय को सूचित किया जाना चाहिए ताकि तीनों इकाइयों को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जा सके।

प्रतिवेदन ने संकेत दिया कि पेपर इकाई के संबंध में, समिति की राय नहीं थी कि यह व्यवहार्य था। न्यायालय द्वारा विद्वान महान्यायवादी और श्री पाई से पेपर इकाई के पुनरुद्धार की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया गया था। विद्वान महान्यायवादी की ओर से सुश्री सुभाषिनी का कहना है कि दो सप्ताह का समय दिए जाने पर आगे की चर्चा की जाएगी और पेपर इकाई के संबंध में एक पूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।"

भारत संघ और बिहार राज्य द्वारा 12.9.1989 पर एक संयुक्त ज्ञापन दायर किया गया था जिसे न्यायालय ने इस तथ्य के कारण खारिज कर दिया कि पुनरुद्धार के बारे में ज्ञापन में कोई स्पष्ट और निश्चित संकेत नहीं था। इसके बाद, बिहार राज्य और भारत संघ ने अलग-अलग अपने बयान दायर किए हैं और विद्वान महान्यायवादी द्वारा पहले से तैयार और वितरित ज्ञापन की एक प्रति भी हमारे समक्ष दायर की गई है। हमने मामले में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है।

यह विवादित नहीं है कि श्रमिकों पर भारी मात्रा में मजदूरी बकाया है। कई वित्तीय संस्थानों पर कंपनी से वसूली करने के लिए बड़ा बकाया है। ऋणपत्र न्यास विलेख के न्यासियों ने भी अपने दावे को बनाए रखने के लिए इस न्यायालय में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इनके अलावा, कंपनी के मालिकों ने यह भी अनुरोध किया है कि राष्ट्रीयकरण के माध्यम से कंपनी की संपत्तियों को छीनने की स्थिति में वे मुआवजे के हकदार हैं।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कंपनी अब पाँच साल से अधिक समय से बंद है। बहुत सारी परिसंपत्तियाँ तेजी से बेकार हो रही हैं और जल्द ही बेकार हो जाएंगी। आधिकारिक परिसमापक द्वारा रखे गए कुछ स्टॉकों का निपटान करने के कई प्रयास किए गए थे, लेकिन किसी न किसी कारण से बिक्री को पूरा करना संभव नहीं हो सका है और हालांकि इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बिक्री आय का उपयोग बकाया-मजदूरी के भुगतान के लिए किया जाएगा, जो संभव नहीं है। कंपनी के खिलाफ दावे किए गए हैं और शायद निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि कंपनी को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है और उसका परिसमापन नहीं किया जाता है, तो देनदारियां परिसंपत्तियों से कहीं अधिक हो जाएंगी और परिसंपत्तियों पर पहले या दूसरे शुल्क के बावजूद, लेनदारों को काफी लाभ नहीं हो सकता है। यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लगभग 10,000 परिवारों को पांच साल से अधिक समय से रहने से वंचित किया गया था और राष्ट्रीय नुकसान के अलावा, श्रमिकों को गंभीर खतरे में डाल दिया गया है। इन परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि यह सर्वोपरि महत्व है कि व्यवहार्य इकाइयों के संबंध में कंपनी को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और उत्पादन में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब तक उचित समय के लिए कंपनी की देनदारियों के संबंध में कोई रोक नहीं है, तब तक तीन इकाइयों के संबंध में कंपनी को पुनर्जीवित करने का प्रयास लेनदारों के हस्तक्षेप पर विफल होना तय है, जबकि एक बार कंपनी को पुनर्जीवित करने और बड़ी वाणिज्यिक गतिविधियों को जारी रखने के बाद, लाभ अर्जित करना तय है और एक कर्तव्यनिष्ठ और विवेकपूर्ण प्रशासन निश्चित रूप

से, नियत समय में, ऋणों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त धन प्रदान करेगा। वर्तमान में यह सवाल प्राथमिकताओं में से एक है। यह सावधानीपूर्वक तय करना होगा कि किसे आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे इंतजार करने के लिए कहा जाना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में और बिहार राज्य और भारत संघ द्वारा दायर ज्ञापन और विद्वान महान्यायवादी द्वारा तैयार किए गए और महान्यायवादी की सहमति से दूसरे पक्ष के लिए श्री पाई द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए नोट के आधार पर, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैंः

1. बिहार राज्य उपयुक्त वाणिज्यिक पृष्ठभूमि वाले वरिष्ठ आई.ए.एस. संवर्ग से एक अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

2. पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अनंतिम परिसमापक कंपनी की सभी संपत्तियों को प्रशासक को सौंप देगा, जिन्हें उसने न्यायालय के आदेश के तहत अपने हाथ में ले लिया है। कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें अभी तक अनंतिम परिसमापक द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया है, उपयुक्त अधिकारी को तुरंत उसमें निहित किया जाएगा और वह हमारे वर्तमान आदेशों के तहत ऐसे कदम उठाने के लिए आवश्यक शक्ति से लैस है जो कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए आवश्यक हैं। प्रशासक के इस निर्णय से उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में कि संपत्ति कंपनी की है और प्रशासक द्वारा अधिग्रहित की जानी है, पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष एक अपील विचारणीय होगी और ऐसी पीठ का गठन करने के लिए न्यायाधीशों को विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा। सुविधा के लिए वही न्यायाधीश एक उचित अवधि के लिए नामित पीठ पर बने रहेंगे।

3. वित्तीय और अन्य संस्थानों से भरी कंपनी की परिसंपत्तियां आज से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्रवाई के लिए उपलब्ध नहीं होंगी और इसके बाद कंपनी के खिलाफ की जाने वाली और लंबित या की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगन

होगा और आज के हमारे आदेशों के तहत सीमा निलंबित रहेगी। स्थगन अवधि बढ़ाने के लिए दायर किए जाने पर यह न्यायालय के लिए खुला रहेगा।

4. बिहार राज्य सरकार द्वारा बही मूल्य के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली समस्त संपत्तियों की लागत और कंपनी के विरुद्ध बकाया देनदारियों का अनुमान 15 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर लगाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने हमारे समक्ष आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रशासक के पास 15 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का वचन दिया है। भारत संघ द्वारा राज्य के लिए योजना सहायता में से बिहार राज्य को 15 करोड़ रुपये की ही एक समान राशि अग्रिम के रूप में दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई 15 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग, यथासमय, श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान और वित्तीय संस्थानों तथा अन्य पक्षों के सुरक्षित ऋणों के संवितरण के लिए किया जाएगा, जिनके लिए कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। प्रशासक डालमियानगर में बिहार राज्य के लिए कार्यरत अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक खाता खोलेंगे जिसमें 15 करोड़ रुपये की दो राशियाँ जमा की जाएँगी।

5. प्रशासक एक समिति का गठन करेगा जिसमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और राज्य सरकार के वित्तीय सलाहकार के रूप में कम से कम पांच साल का अनुभव रखने वाला एक लेखा अधिकारी शामिल होगा, जो कंपनी के मालिकों और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य पक्षों के दावों की जांच करेगा। यह कार्य अब से छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए। एक बार जब सभी उचित विवरणों के साथ लेनदारों की सूची तय हो जाए, तो निर्देश के लिए इस न्यायालय को मामले की सूचना दी जानी चाहिए और इस न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह अंततः उस आंकड़े का संकेत दे जिस पर प्रत्येक ऐसे दावे का निपटारा किया जाएगा।

अब से चार सप्ताह के भीतर सभी वस्तुओं की एक सूची बनाई जाएगी। अब से चार

सप्ताह के भीतर एक नई कंपनी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

तकनीकी सलाहकारों और अन्य सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति आज से दो महीने के भीतर की जाएगी।

एस्बेस्टस, सीमेंट और वनस्पति संयंत्रों को आवश्यक मरम्मत करने के बाद चालू किया जाएगा।

छँटनी किए गए कर्मचारी चरणों में काम पर वापस आएंगे। पहले चरण में एक हजार श्रमिकों को प्रवेश दिया जाएगा, दूसरे चरण में समान संख्या में प्रवेश दिया जाएगा और तीसरे चरण में, उद्योगों को व्यवहार्य तरीके से चलाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या को अंतिम रूप दिया जाएगा। रोजगार प्रदान करने के लिए यथासंभव सभी त्वरित कदम उठाए जाएंगे।

तीन इकाइयों के संबंध में कंपनी के फिर से चालू होने के तीन महीने बाद कागज इकाई की व्यवहार्यता तलाशने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर पक्षों को आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पंद्रह करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसके वास्तविक आशय और भावना को ध्यान में रखते हुए आदेश को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित सभी पक्षों द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा इरादा किसी के मन में यह संदेह छोड़ने का नहीं है कि हमारे आदेश का उद्देश्य कंपनी को पुनर्जीवित करना और इसे व्यवहार्य रूप से संचालित करना है। इसलिए, न्यायालय के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी निभाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस तरह से कार्य करे जिससे उस उद्देश्य की पूर्ति हो।

हम निर्देश देते हैं कि मामला इस न्यायालय में लंबित रहेगा और इस आदेश द्वारा

इसे निपटाया हुआ नहीं माना जाएगा। मामले को 1 मार्च, 1990 को पुनः बुलाएं।

पी.एस.एस.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।